दस रुपये TEN RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

358 प्रकरण क्रमांक I/निग/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1602

बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अधि. 6/3/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20/3/18 ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

छन्नूलाल पुत्र स्व0 श्री मुलू चौरसिया,
आयु 60 वर्ष, निवासी – ग्राम बल्देवगढ़,
वार्ड नं.8, तहसील व जिला टीकमगढ़
(म0प्र0)

—— आवेदक

बनाम

1. मलखान पुत्र श्री मुल्ले चौरिसया, निवासी– ग्राम बल्देवगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्लूराम चौरसिया, निवासी– ग्राम बल्देवगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
3. मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

राजेन्द्र सिंह धाकड़ 06/03/18 ... दिनांक 06/3/18 हस्ताक्षर व नाम ...

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2016–17 से दुखितः होकर।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1602 छन्नूलाल विरूद्ध मलखान व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारास्वत उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

21.01.19

	जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 21-01-19 (आर.के. जैन) सदस्य	